

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"
वल्लभ नगन, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल, 2006.

क्रमांक:एफ 19/51/2006/1/4, :: राज्य शासन द्वारा उद्योग सेवा अधोतरचना क्षेत्र में कम से कम 25 करोड़ रूपए की स्वयं निवेश परियोजनाओं को स्वीकृति देने तथा उनके क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट विलयरेत एण्ड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड का गठन निम्नानुसार

किया जाता है :-

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| 2. | प्रमुख सचिव, वित्त | सदस्य |
| 3. | प्रमुख सचिव, राजस्व | सदस्य |
| 4. | प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर | सदस्य |
| 5. | प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार | सदस्य |
| 6. | प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण | सदस्य |
| 7. | सचिव, मुख्य मंत्री | सदस्य |
| 8. | प्रबंध संचालक, | सदस्य सचिव, |

मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट पेरिसालिटेशन -
कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल.

2/- संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव अपना प्रोजेक्ट बोर्ड के सदस्य सचिव के तथ्य प्रस्तुत करेंगे एवं बोर्ड की बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकेंगे।

3/- बोर्ड के सदस्य सचिव, प्राप्त प्रस्तावों पर संघेपिका एवं अन्य संबंधित दस्तावेज तैयार कर बोर्ड के सदस्यों को भेजकर बोर्ड की बैठक आयोजित करेंगे। प्रोजेक्ट से संबंधित विभागों को प्रकर्यों में परीक्षण कर अपना अभिमत प्रस्तुत करने हेतु दो सप्ताह का समय दिया जावेगा।

निरंतर 2

4/- प्रकरणों में बोर्ड की अनुमोदनाओं पर माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा। तत्पश्चात् बोर्ड के प्रस्ताव तद्विषय द्वारा संबंधित विभागों को निर्णय से सूचित करेंगे। यदि प्रकरण में मंत्रि-परिषद का अनुमोदन आवश्यक होता है तो संबंधित विभाग मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

5/- बोर्ड की बैठके नियमित रूप से माह में दो बार प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को आयोजित की जावेगी एवं तत्संबंध में माननीय मुख्य मंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी। आवश्यक होने पर संबंधित निवेशक को या उनके प्रतिनिधियों का बोर्ड की बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

§ डी०एस० राय § 18/4/2006
सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल, 2006.

पृ०क्र०:एफ 19/51/2006/A/A.

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष / सदस्यगण / सदस्य सचिव
2. वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की ओर नस्ती सहित
3. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
4. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मंत्रालय प्रकोष्ठ

को और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिशित।

§ सुनीता त्रिपाठी §
उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,

प्र. सं. संख्या

2- H.I.D. प्रस्ताव संख्या 2/51/06 की वृत्त संख्या

25 APR 2006

AR/IC/MD MPSEID

DS(RSU) / MD TRIFAC

भोपाल, दिनांक : 25-4-2006

मध्यप्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मध्यप्रदेश

कमांक 100/मु.स. /06 /साप्रति
प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

विषय: निजी निवेश संबंधी प्रस्तावों की स्वीकृति एवं कियान्वयन के लिए 'प्रोजेक्ट क्लीयरेंस एण्ड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड' की व्यवस्था ।

सन्दर्भ: सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश कमांक एफ-19/51/2006/1/4, भोपाल, दिनांक 18, अप्रैल, 2006.

1. प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड का गठन एवं उद्देश्य :-

प्रदेश में उद्योग, सेवा, अधोसंरचना अथवा अन्य उपक्रमों में पूंजी निवेश हेतु कम्पनियों, फर्मों, सनूहों अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव दिए जाते हैं । इन प्रस्तावों की प्रोसेसिंग एवं स्वीकृति के लिए अंतर्विभागीय समन्वय एवं निर्णयों की आवश्यकता होती है ।

निजी निवेशकों के इस तरह के प्रस्तावों की प्रोसेसिंग में अनावश्यक विलम्ब न हो, सभी संबंधित विभाग परियोजना के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त कर सकें तथा निवेशकों को भिन्न-भिन्न विभागों में जाकर अपने प्रस्ताव का अनुश्रवण करने की आवश्यकता न हो, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से प्रदेश में 'प्रोजेक्ट क्लीयरेंस एण्ड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड' का गठन किया गया है । (आदेश की प्रति संलग्न है) । इस बोर्ड के सदस्य सचिव, प्रबंध संचालक, ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फंसिलिटेशन कार्पोरेशन (ट्राईफेक) लिमिटेड भोपाल हैं । (प्रबंध संचालक, राज्य औद्योगिक एवं वित्त निगम ट्राईफेक के पदेन प्रबंध संचालक हैं ।)

यह बोर्ड प्रदेश में निजी निवेश के समस्त प्रस्तावों की प्रोसेसिंग एवं स्वीकृति सम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुश्रवण कर निजी निवेश के प्रस्ताव पर आवश्यक स्वीकृति / जहनी समय-सीमा में सुनिश्चित कराएगा । बोर्ड ही परियोजना की स्वीकृति के पश्चात् उसके कियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को भी आवश्यकतानुसार निराकृत करेगा ।

2. निजी निवेश हेतु आवेदन / प्रस्ताव :-

1. कोई भी ईच्छुक निवेशक अपने निजी निवेश का प्रस्ताव / आवेदन बोर्ड के सचिव अथवा संबंधित विभाग के तत्काल प्रस्तुत कर सकेगा ।

2. मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को निजी निवेश हेतु प्राप्त प्रस्ताव भी बोर्ड को भेजे जाएंगे ।

3. विभाग स्वप्रेरणा से निजी निवेश संबंधी पूर्व से लम्बित अथवा नए प्रस्ताव भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे ।

3. बोर्ड द्वारा प्रस्तावों पर कार्यवाही :-

1. बोर्ड के सचिव को जैसे ही निजी निवेश का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त होगा, वे उसे संबंधित विभागों को भेजेंगे । विभाग उसे प्रोसेस कर 10 दिवस की समयावधि में अभिमत सहित संक्षेपिका तैयार करेगा । संक्षेपिका में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि विभाग से प्रस्तावक क्या अपेक्षाएँ हैं तथा उन्हें पूरी करने के संबंध में विभाग का क्या दृष्टिकोण है ।

2. निर्धारित अवधि तक संबंधित विभागों से प्राप्त अभिमत सहित सम्पूर्ण एजेण्डा नोट बोर्ड के सचिव, बोर्ड के सभी सदस्यों को भेजेंगे । जिन विभागों से निर्धारित अवधि में अभिमत प्राप्त नहीं होगा, उनके संबंध में इस बाबद् एजेण्डा नोट में विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा ।

3. बोर्ड की बैठक में उन सभी विभागों के प्रमुख सचिव / सचिव को बुलाया जाएगा, जिनसे संबंधित विषय वस्तु पर बोर्ड में चर्चा की जाना अपेक्षित हो ।

4. बोर्ड की बैठक में संबंधित संस्था / निवेशक के प्रतिनिधी को भी आमंत्रित किया जाएगा ।

5. बोर्ड की बैठक में आमंत्रण की सूचना, एजेण्डा नोट एवं मिनिट्स बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से, सचिव द्वारा जारी किए जाएंगे ।

6. बोर्ड के सचिव द्वारा प्रदेश में निजी निवेश संबंधी समस्त प्रस्तावों एवं उनकी प्रोसेसिंग का कम्प्यूटराईज्ड डाटा बेस तैयार किया जाएगा, जो ऑन-लाइन मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध रहेगा । बोर्ड के सचिव, बोर्ड की कार्यवाही के संबंध में


मुख्यमंत्री कार्यालय से निरंतर संपर्क में रहने एवं इस आदेश में सुझावों के माध्यम से व्यवस्था को अंतिम रूप देंगे ।

सामान्यतः बोर्ड के समक्ष 25 करोड़ या उससे अधिक लागत के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, परन्तु किसी प्रस्ताव को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा कि उसका पूँजी निवेश 25 करोड़ रूपए से कम है ।

8 निजी पूँजी निवेश संबंधी यदि कोई प्रस्ताव सीधे विभाग को प्राप्त होता है, तब प्रस्ताव की एक प्रति संबंधित विभाग तत्काल बोर्ड के सचिव को भेजेगा । भले ही विभाग के मत से प्रस्ताव कियान्वयन योग्य न हो ।

9 निजी पूँजी निवेश संबंधी ऐसे प्रस्ताव, जो स्वीकार योग्य नहीं हैं, उनके संबंध में भी बोर्ड के समक्ष टीप प्रस्तुत की जाएगी ।

10 विभाग अपनी प्रचलित परियोजनाओं (Ongoing Projects) में आने वाली अर्न्तविभागीय समन्वय की समस्याओं का समाधान इस बोर्ड के माध्यम से कराना चाहते हों, तो वे तदनुसार प्रस्ताव बोर्ड के सचिव को भेज सकते हैं । प्रस्ताव भेजते समय बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखने के युक्तियुक्त कारण का स्पष्ट विवरण विभाग द्वारा दिया जाए ।


(राकेश साहनी)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

**M.P. TRADE AND INVESTMENT
FACILITATION CORPORATION LTD.**

(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

(Formerly known as Madhya Pradesh Export Corporation Ltd.)



TRIFAC

क्र. ट्राइफैक/2006/136

भोपाल, दिनांक 27.04.2006

प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन

मंत्रालय, भोपाल

विषय: निजी निवेश सम्बंधी प्रस्तावों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के लिए "प्रोजेक्ट क्लीयरेंस एण्ड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड" की व्यवस्था।

सन्दर्भ: सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ-19/51/2006/1/4
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल, 2006
मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रमांक 100/मु.स./06/साप्रवि भोपाल,
दिनांक 22.04.2006

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न हैं)।

2. राज्य शासन द्वारा गठित किये गये "प्रोजेक्ट क्लीयरेंस एण्ड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड" के परिप्रेक्ष्य में आपके विभाग में निजी निवेश से सम्बंधित पूर्व से लंबित अथवा नये निवेश प्रस्ताव का एजेण्डा नोट/संक्षेपिका मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन को प्रेषित करना चाहेंगे। उल्लेखनीय है कि बोर्ड की बैठक प्रतिमाह प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को आयोजित किये जाने हेतु नियत है।

3. बोर्ड के समक्ष विभाग अपनी प्रचलित परियोजनाओं (Ongoing Projects) में आने वाली अंतर्विभागीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। तदनुसार अनुरोध है कि ऐसे प्रस्तावों में भी एजेण्डा नोट/संक्षेपिका प्रेषित करना चाहेंगे।

4. निजी पूंजी निवेश से सम्बंधित प्रस्ताव जो विभाग के मत से क्रियान्वयन योग्य नहीं हो, उनके सम्बंध में भी टीप बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। तदनुसार ऐसे प्रस्तावों से सम्बंधित टीप प्रेषित करना चाहेंगे।

SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM

"AVN Tower" Mezzanine Floor, 192, Zone-I, M.P. Nagar, Bhopal-462 011 (India)


Tel. : (91) 755 - 2559978 (PBX), Telefax : (91) 755 - 2559971 e-mail : wtcbpl@sancharnet.in



TRIFAC

(2)

5. सामान्यतः बोर्ड के समक्ष रू. 25 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश के प्रस्तावों पर संक्षेपिका प्रस्तुत की जावेगी। परन्तु किसी प्रस्ताव को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जाना है कि उसका पूंजी निवेश रू. 25 करोड़ से कम है।


(प्रवीण गर्ग)
प्रबंध संचालक

क्र. ट्राइफेक/2006/137

भोपाल, दिनांक 27.04.2006

प्रतिलिपि :-

स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन की ओर सूचनाथ प्रेषित।


प्रबंध संचालक